निदेशालय

।। महानिदेशक गृह रक्षा, राजस्थान ।।

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक :गृरमु/प्रशि./टी–1 (1–2) 2008/ 1713-54 दिनांक : 28/1/19

:– प रि प त्र –:

गृह रक्षा विभाग मे मृतक स्वयं सेवको के आश्रितों द्वारा विगत कई वर्षो से गृह रक्षा सदस्यता प्रदान करने की मांग की जा रही है। दिनांक 18.01.2019 को आयोजित विभागीय अधिकारियों की गोष्ठी के दौरान उक्त बिन्दु पर विचार विमर्श कर सर्व सहमती से सुझाव दिया गया कि होमगार्ड एक्ट 1963 की धारा 3 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत कमाण्डेन्ट जनरल सदस्यता मे रहते हुऐ स्वयं सेवक की मृत्यु होने के उपरान्त उनके आश्रितों को गृह रक्षा सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते है।

अतः यह निर्णय लिया लिया जाता है कि प्रत्येक बटालियन कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट अपने अधीन नामांकित स्वयं सेवक की मृत्यु उपरान्त मृत्यु के 6 माह की अवधि के अन्दर–अन्दर उसके आश्रित से (आश्रित से अभिप्राय पति या पत्नि, पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री तथा मृत स्वयं सेवक द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैद्य रूप से दत्तक पुत्र/पुत्री है, जो मृत स्वयं सेवक पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थें, मृतक अविवाहित सदस्य द्वारा मनोनित व्यक्ति) निर्धारित प्रपत्र/आवेदन पत्र मे होम गार्ड्स सदस्यता हेतु आवेदन समादेष्टा/गण समादेष्टा की अभिशंषा के साथ मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

गृह रक्षा सदस्यता हेतु उपरोक्त आवेदक की पात्रता अनुसार कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। जिसकी स्वीकृति जारी होने पर गण समादेष्टा/समादेष्टा आश्रित का नामांकन करेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया मे अधिकतम 01 वर्ष लगने के दृष्टिगत मृतक सदस्य के रिक्त पद को आगामी 01 वर्ष तक आरक्षित रखा जायेगा। आश्रित को गृह रक्षा सदस्यता हेतु नामांकन की स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पर चलाये जाने वाले स्वयं सेवको के आगामी बुनियादी प्रशिक्षण मे सम्मलित किया जावे। उक्त प्रशिक्षण के पश्चात ही ड्यूटी पर नियोजित किया जा सकेगा।

यह तुरन्त प्रभावशील होगा।

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप

(ओ. पी. गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु –:

1. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
4. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

मृत गृह रक्षा स्वयं सेवक के आश्रितों को गृह रक्षा सदस्यता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	मृतक स्वयं सेवक का नाम एवम् सदस्य संख्या	
2.	निधन की दिनांक एवम् स्थान (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
3.	गृह रक्षा सदस्यता ग्रहण करने की दिनांक	
4.	आवेदक का स्थाई पता	
5.	आवेदक का वर्तमान पता	
6.	मृतक स्वयं सेवक के परिवार के सदस्यों का विवरण (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखें जायें)	—

क्र. सं.	नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्म दिनांक एवम् आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय रूपये

गृह रक्षा सदस्यता हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण

1.	नाम		आवेदक की फोटों
2.	आयु एवम् जन्म तिथि		
3.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
4.	मृतक स्वयं सेवक से सम्बन्ध		

हस्ताक्षर
स्थाई पता :
आवेदक के हस्ताक्षर

यदि आवेदक विधवा स्वयं नहीं हैं तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैंने आवेदन में उल्लिखित सूचना पढ़ ली हैं। भली प्रकार सुन ली हैं। आवेदक को गृह रक्षा सदस्यता दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति हैं। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ पत्र संलग्न हैं।

साक्ष्य .....

.....

विधवा के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि :–

(1) आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक ..... को प्राप्त हुआ हैं,जो कि डायरी संख्या ..... दिनांक ..... पर दर्ज हैं।

(2) आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएं मृतक स्वयं सेवक की निजी पत्रावली के अनुसार सही हैं।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित साक्ष्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावें तो मेरी गृह रक्षा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी हैं।

साक्ष्य

आवेदक के हस्ताक्षर